

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली 110092।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2025

विषय: दिल्ली पब्लिक स्कूल कालागांव देहरादून की सोसाईटी परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव संख्या-आंग्ल0/पन्द्रह-(क)/46/2021/25726 दिनांक: 24 मार्च, 2025 पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल कालागांव देहरादून, जो कि एम0पी0 सिंह फाउण्डेशन द्वारा संचालित है, को अन्य ट्रस्ट शशि सिंह फाउण्डेशन में स्थानान्तरित करने अर्थात् सोसाईटी परिवर्तित करने हेतु इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है कि विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0 के Bye Laws के प्रस्तर-15.2.4 द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराया जायेगा।

2- इस संबंध में दिल्ली पब्लिक स्कूल सीनियर विंग (मुख्य शाखा) एम0पी0 सिंह फाउण्डेशन (रजि0 ट्रस्ट) ग्राम कालागांव सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1359 दिनांक 13.10.2010 में उल्लिखित समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

Signed by

Ravinath Raman

Date: 30-03-2025 14:36:05

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-383/XXIV-B-3/25/23918. तददिनांक.

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (3) अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- (4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद।

- (5) प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल कालागांव देहरादून।
(6) गार्ड फाइल।

Signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 30-03-2025 15:21:44

आज्ञा से,
(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-318/XXIV-3/11/01(27)/2010
देहरादून, दिनांक: 28 फरवरी, 2011

शुद्धि -पत्र

“दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीनियर विंग (मुख्य शाखा) एम0पी0 सिंह फाउण्डेशन (रजि0ट्रस्ट) ग्राम कालागांव, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून” को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या: 1359/XXIV-3/10/1(27)/ 2010, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश में उल्लिखित “दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीनियर विंग (मुख्य शाखा) एम0पी0 सिंह फाउण्डेशन (रजि0ट्रस्ट) ग्राम कालागांव, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून” के स्थान पर “दिल्ली पब्लिक स्कूल, (एम0पी0 सिंह. फाउण्डेशन, रजि0 ट्रस्ट) ग्राम कालागांव, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून” पढ़ा जाय।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक: 13 अक्टूबर, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेगीं।

/ (जी0पी0 तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या: 318(1)/XXIV-3/11/01(27)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् समुदाय केन्द्र प्रीति विहार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मयूर विहार, देहरादून।
5. प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, (एम0पी0 सिंह. फाउण्डेशन, रजि0 ट्रस्ट) ग्राम कालागांव, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0 तिवारी)
अनु सचिव।

प्रेषक,

जी०पी०तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2010

विषय:-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीनियर विंग (मुख्य शाखा) एम०पी०सिंह फाउण्डेशन (रजि०ट्रस्ट) ग्राम कालागाँव, सहस्रधारा रोड, देहरादून, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीनियर विंग (मुख्य शाखा) एम०पी०सिंह फाउण्डेशन (रजि०ट्रस्ट) ग्राम कालागाँव, सहस्रधारा रोड, देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- (ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशनल, नई दिल्ली/काउंसिल फार इण्डियन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम देयनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें

9

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (ट) उक्त शर्तों में, विना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/रिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जी०पी०ति०वारी)
अनु सचिव।

संख्या: 1359(1)/XXIV-3/10/1(27)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. जिलाधिकारी, देहरादून।
- 2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- ✓ 5. प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीनियर विंग (मुख्य शाखा) एम०पी०सि०, फाउण्डेशन (रजि०ट्रस्ट) ग्राम कालागाँव, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
- 6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०पी०ति०वारी)
अनु सचिव।